



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 1 जनवरी, 2013 / 11 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०—III)

अधिसूचना

शिमला—2, 24 दिसम्बर, 2012

संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—4/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—4/2010 तारीख 24 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग—III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग—III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-I का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध-I में, —

(क) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- “(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेन्डमैंट आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या : 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।
- (ii) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

3. (ख) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘क्लीनर-एवं-परिचालक/हैल्पर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/बोर्डों/निगमों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट आधार पर ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए क्लीनर-एवं-परिचालकों/हैल्परों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ‘कार्यकाल’ से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे: —

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पददर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटड़े पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

परन्तु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक ऐसी सेवाओं/स्थापनों/विभागों को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं हैं।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारेण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी”।

4. (ग) स्तम्भ संख्या-15-क (IV) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और अभ्यर्थी के गाड़ी चलाने एवं रख-रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नामनिर्देशिती(यों) के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और प्रबन्धक/फोरमैन, हिमाचल पथ परिवहन निगम में से, कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यावहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होंगे”।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010 Dated 24.12.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th December, 2012

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-4/2010 dated the 24th November, 2010, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

2. Amendment of Annexure-I.—In Annexure-I of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010,-

(a) For the existing entries against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

(i) 80% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be failing which on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

- (ii) 20% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

3. (b) For the existing entries against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

By promotion from amongst the Cleaner-cum-Conductor/Helper having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Govt. Departments/Public Sector Undertakings/ Boards/Corporations.

For the purpose of promotion a combined seniority of Cleaner-cum-Conductors/Helpers based on the length of service without disturbing their inter-se-seniority shall be prepared:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that persons who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/establishments/ Departments whose services are non-transferrable and do not have posts in such areas.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

4. (c) For the existing entries against Col. No. 15 –A (IV), the following shall be substituted, namely:-

“Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on contract basis shall be made on the basis of viva-voce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. (Mechanical), HP PWD and Manager/Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory”.

By order,
MANISHA NANDA,
Principal Secretary (Personnel).

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या: आई.पी.एच.-बी(एच)1-45/2012-मण्डी.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव खिलड़ा/28 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना खिलड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बीघे-बिस्वे में
मण्डी	सुन्दरनगर	खिलड़ा/28	181/1	0-07-15

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षर/—
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या: आई.पी.एच.-बी(एच)1-46/2012-मण्डी.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धारणड़ा/1 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना खिलड़ा धारणड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बीघे-बिस्वे में
मण्डी	सुन्दरनगर	धारणड़ा / 1	1531 / 524 / 1	0-05-06

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षर/—
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या: आई.पी.एच.-बी(एच)1-47/2012-बिलासपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सौहरी उप तहसील नम्होल जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना डुंगलू शोषण प्रथम चरण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बीघे-बिस्वे में
बिलासपुर	नम्होल	सौहरी	302 / 1	00-13

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षर/—
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2012

संख्या मुद्रण (बी) 10-42/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2-18/96 तारीख 23-4-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जिल्दबन्दी यन्त्र चालक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा ,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) ।

2. **पदों की संख्या.**—12 (बारह) ।

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं ।

3. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड 5910-20200/रूपए—जमा 2400/— रूपए ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 8310/—रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) ।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं : (I) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य ।

(II) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बुक बाईडिंग में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड/प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य ।

(III) राजकीय मुद्रणालय या/आई एस0ओ0 प्रमाण पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय के बाईडिंग अनुभाग में स्थापित समस्त प्रकार की मशीनरी अर्थात् सिलाई, फोल्डिंग, रूलिंग,लेमिनेशन और कटिंग मशीनों को चलाने का कम से कम एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(IV) उपयुक्तता, व्यावहारिक परीक्षण के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(ख) वांछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु.—लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा.**—बुक बाईंडरों में से, (सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर) स्थानान्तरण द्वारा जिनका ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—लागू नहीं।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15(क) **संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) **चयन,** इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) को 8310/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)

प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों)के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 250/— रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 250/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीजाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/—रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर) को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर कर्त्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B)10-42/2010 dated 27-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th December, 2012

No. Mudran (B) 10-42/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Ware House Operator,Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery ,Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification , namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Ware House Operator,Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Ware House Operator, Class-III (Non-Gazetted Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification No. Mudran (B)2-18/96 dated 23-4-2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made , done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary (P&S).

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF WARE HOUSE
OPERATOR CLASS-III (NON-GAZETTED) ,IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND
STATIONERY HIMACHAL PRADESH**

- 1. Name of the Post.**—Ware House Operator
- 2. Number of Post(s).**—12 (Twelve)
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial-Services
- 4. Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*— ₹ 5910-20200 + ₹ 2400/- Grade Pay.
(ii) *Emoluments for contract employees.*— ₹ 8310/-P.M (as per details given in Col.15-A).
- 5. Whether Selection post or Non-Selection post.**—Not applicable
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that, that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
Essential Qualification(s).—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/university.

(ii) Two Years National Trade/Apprenticeship Certificate in the trade of Book Binding or its equivalent from an I.T.I. or an institution duly recognized by the Central/State Government.

(iii) At least one year practical experience in operation upon all kinds of machinery i.e. stitching, folding, ruling, lamination and cutting machines installed in the Binding Section of a Government Printing Press or ISO certified Private Printing Press.

(iv) Suitability shall be determined on the basis of practical test.

(b) *Desirable Qualification(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age.*—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By transfer (strictly on the basis of seniority) from amongst the Book-Binders who possess at least 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Ware House Operator in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Ware House Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 250/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 250/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post)) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Ware House Operator & the Government of Himachal Pradesh through-Controller Printing and Stationery. (H.P.)

This agreement is made on this.....day of..... in the year.....Between Sh/Smt.S/o/D/o Shri.....R/o....., Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Ware House Operator on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Ware House Operator for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.

- Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 8310/-per month.
 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
 4. Contractual Ware House Operator will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contractual Ware House Operator.
- Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Ware House Operator will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
 6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.
 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s) IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

**In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Vinod Kumar, aged 38 years s/o Shri Kishan Chand Sharma, r/o V. P. O. Chamned, Tehsil and District Hamirpur (H. P.)
2. Anu Thapa, aged 31 years d/o Shri Kanshi Ram, r/o House No. Type 2/57, Sector Q. Aliganj, Lucknow, P. S. Maidyanb, District Lucknow (UP) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Vinod Kumar and Anu Thapa have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 26-1-2013. The objection received after 26-1-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-12-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
 Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Pankaj Sharma aged 25 years s/o Shri Hans Raj, r/o Village Ghughrar, P. O. Sanghol, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H. P.) at present at the house of Smt. Seema Devi w/o Shri Krishan Kumar Sharma, r/o Village Ropri, P. O. Bouru, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.).
2. Anjana Devi, aged 22 years d/o Shri Puran Chand, r/o Village Sawat, P. O. Virgarh, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pankaj Sharma and Anjana Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4-11-2012 at Tauni Devi Mandir, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-1-2013. The objection received after 16-1-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-12-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Akshay Sharma, aged 23 years s/o Shri Amar Nath Sharma, r/o Village and P. O. Khiah, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Gagandeep Kaur, aged 22 years d/o Shri Pritam Singh, r/o House No. 210 A, New Colony Chunna Bhatti Chandimandir Panchkula (Haryana) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Akshay Sharma and Gagandeep Kaur have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-11-2012 at Gasota, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-1-2013. The objection received after 16-1-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-12-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री होशियार सिंह पुत्र श्री मुरली राम, निवासी गांव धानग, डा0 धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री होशियार सिंह पुत्र श्री मुरली राम, निवासी गांव धानग, डा0 धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रीना देवी का जन्म दिनांक 24-8-1991 को मुहाल घर धानग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एम0 आर0 धीमान (हि0प्र0से0), मैरिज ऑफिसर, रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

1. देविन्दर सिंह पुत्र श्री सतन दास, निवासी कलोटी, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री जवाहर सिंह, निवासी ग्राम तांगलिंग, डा0 शोंगटोंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री देविन्दर सिंह व लक्ष्मी देवी ने जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र बाबत विवाह इस न्यायालय में दिनांक 15-11-2012 को पेश किया है कि वे दोनों उक्त ऐक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष को उपरोक्त फ्रीकैन के आपसी विवाह पर कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2013 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है अन्यथा वादीगण का विवाह पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एम0 आर0 धीमान (हि0प्र0से0),
मैरिज ऑफिसर,
रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एम0 आर0 धीमान (हि0प्र0से0), मैरिज ऑफिसर, रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

1. सौरभ सूद पुत्र श्री सतीश कुमार सूद, निवासी स्वर्ण बन्धू बिल्डिंग, सैट नं0 9, नाभा एस्टेट, शिमला-4, हिमाचल प्रदेश।
2. मंजू पुत्री श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम लोअरकोटी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सौरभ सूद व मंजू ने जेर धारा 15, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र बाबत विवाह इस न्यायालय में दिनांक 6-12-2012 को पेश किया है कि वे दोनों उक्त ऐक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष को उपरोक्त फ्रीकैन के आपसी विवाह पर कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2013 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है अन्यथा वादीगण का विवाह पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एम0 आर0 धीमान (हि0प्र0से0),
मैरिज ऑफिसर,
रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री शेर सिंह पुत्र श्री मदन लाल, निवासी ग्राम प्लांखवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी शेर सिंह पुत्र श्री मदन लाल, निवासी ग्राम प्लांखवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 30-11-2011 को श्रीमती शान्ति देवी पुत्री श्री जसवन्त सिंह, निवासी ग्राम अम्बोटा, डा0 टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत झाड़माजरी, तहसील बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शेर सिंह पुत्र श्री मदन लाल, निवासी ग्राम प्लांखवाला, तहसील बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती शान्ति देवी पुत्री श्री जसवन्त सिंह, निवासी ग्राम अम्बोटा, डा0 टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0) की शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत झाड़माजरी, तहसील बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 18-1-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित / -

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

No. VS-Legn.-Pre/1-1/20 13

Dated, Shimla-171004, the 1st January, 2013.

NOTIFICATION

The following order dated, the 31st December, 2012 by the Governor of Himachal Pradesh, is hereby published for general information :-

“मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 8 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करती हूँ।

उर्मिला सिंह,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

By Order :-

Balbir Tegta, I.A.S.
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

अधिसूचना

सं०:वि०स०-विधायन-प्रा०/1-1/2013

दिनांक 1 जनवरी, 2013

राज्यपाल महोदया, हिमाचल प्रदेश, का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

“मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 8 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करती हूँ।

उर्मिला सिंह,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

आदेश द्वारा:-

बलबीर तेगटा, भा.प्र.से.
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।